न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1337–एक/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–7–04 पारित द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 22/2001–02/अपील.

शिवप्रसाद पुत्र हरिनारायन ओझा
निवासी ग्राम मकसूदनगढ़
परगना राघौगढ़ जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

1– गुलाब सिंह पुत्र रामप्रसाद बढ़ई
निवासी ग्राम मकसूदनगढ़
परगना राघौगढ़ जिला गुना
2– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, गुना ..... अनावेदकगण

.....

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/10/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 गुलाब सिंह पुत्र रामप्रसाद बढ़ई निवासी मकसूदनगढ़ की ओर से उनके भाई कन्हैयालाल बढ़ई द्वारा ग्राम मकसूदनगढ़ स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 221 में से बाकी बची भूमि को नियमानुसार पट्टे पर देने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ–20/1998–99 दर्ज कर नायब

तहसीलदार, मकसूदनगढ़ से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 27–1–89 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 गुलाब सिंह को 6 माह के लिए अस्थाई पट्टा जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27–1–89 के विरूद्ध आवेदक द्वारा कलेक्टर, गुना के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 14–6–89 को प्रस्तुत की गई । साथ ही संहिता की धारा 48 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 16–7–97 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी पट्टों को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 28–10–98 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा म.प्र. शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 8–10–98 के अनुसार उक्त प्रकरण के सुनवाई की अधिकारिता आयुक्त को होने से दिनांक 11–6–98 को प्रकरण आयुक्त को प्रस्तुत किया गया । आयुक्त द्वारा दिनांक 9–7–04 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार करते हुए कलेक्टर का आदेश यथावत रखा गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने संहिता की धारा 182 के उपबंधों को समझे बगैर आदेश पारित किये हैं, जो निरस्ती योग्य हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा आवेदक की ओर से उठाये गये आधारों पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया था, ऐसी स्थिति में अनावेदक कमांक 1 का ही पट्टा निरस्त करना चाहिए था, किन्तु कलेक्टर द्वारा बिना किसी समुचित आधार के एवं बिना प्रक्रिया का पालन किये अनावेदक कमांक 1 के साथ ही आवेदक का पट्टा निरस्त करने में अधिकार बाह्य आदेश पारित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि केवल पत्र के आधार पर पटटा निरस्त नहीं हो सकता है।

तर्कों के समर्थन में 1961 आर.एन. 282 (हा.को.), ए.आई.आर. 1957 (सु.को.) 882 एवं 1977 आर.एन. 410 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने

अथवा विकल्प में विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो पट्टे जारी किये गये थे, वे विधिवत नहीं थे, जिन्हें निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा उचित कार्यवाही की गई है । आयुक्त द्वारा कलेक्टर के विधिसंगत आदेश को यथावत रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक एवं अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सर्वे नम्बर 221 में से बची भूमि बेल्डिंग मशीन की दुकान के लिए पट्टे पर देने की मांग की गई है, जबकि नायब तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में शासकीय भूमि सर्वे कमांक 321 में से 400 वर्गफीट भूमि दुकान के लिए पट्टे पर देने की अनुशंसा की गई है । स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा पट्टे पर चाही गई भूमि एवं नायब तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित भूमि में विरोधाभास है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 6 माह के लिए प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा दिनांक 1–2–89 से 31–7–89 की अवधि के लिए दिया गया है, इसके पश्चात उक्त पट्टे को आगे की अवधि के लिए रिन्यु कराया गया है, ऐसा कोई दस्तावेज आवेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है । यहां महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि आवेदक को 400 वर्गफीट भूमि का पट्टा दिया गया है, परन्तु उसके द्वारा 900 वर्गफीट भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर पक्का मकान का निर्माण कर लिया गया है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, और अपर कलेक्टर के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–04 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर